



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-172

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन क्रमांक 250020 दिनांक 12/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Allotment Letter Issue जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Tara Bhatia S/o Surendra Bhatia	श्री सूरजमल पुत्र श्री मांगूराम	S412	27.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE PALDI PARSA) Sector/Block-	Allotment Letter Issue	ग्राम नेवटा के खसरा नम्बर 1693, 1694, 1695, 1697, 1698/2, 1700, 1701, 1702 क्षेत्रफल 3362 वर्गमीटर अवाप्त भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 840 वर्गमीटर (आवासीय 672 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक 168 वर्गमीटर) भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी-179 दिनांक 28.12.2007 के द्वारा श्री सूरजमल पुत्र श्री मांगूराम को जारी किया गया था। उक्त आरक्षण पत्र के आधार पर लॉटरी से सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								एस-412 क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर का आवंटन किया गया है। (1) श्री मोहित खरे पुत्र श्री रविन्द्र खरे बहैसियत मुख्त्यारआम श्री सूरजमल पुत्र श्री मांगूराम द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-412 क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री अरुण अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल को विक्रय कर दी गई। (2) श्री अरुण अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-412 क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 201240000459 2 दिनांक 21.09.2012 से श्रीमती तारा भाटिया पत्नी श्री सुरेन्द्र भाटिया को विक्रय कर दी गई।
--	--	--	--	--	--	--	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Allotment Letter Issue जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Tara Bhatia S/o Surendra Bhatia को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।